

¹[नियम 109 : अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन

(1) धारा 107 की उपधारा 2 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को एक आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ, या तो ²[इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाएगा], फाइल की जायेगी और अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।

³[परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में शारीरिक रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

- (i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या
- (ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है, और ऐसी दशा में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी।]

(2) जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहां अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से 07 दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुये, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जायेगा :

परंतु यह कि जहां निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहां अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से 07 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप माना जायेगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा नियम 109 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022) प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

“नियम 109 : अपील प्राधिकारी को आवेदन

- (1) अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल-3 में अपील प्राधिकारी को आवेदन इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया जाएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए।
- (2) प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 में अपील की हार्डकॉपी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपील संख्या दी जाएगी।”

² अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा “इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

³ अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।